सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जनपद।

पत्रांक: अ0प0नि0/ 3932 /2011–12 दिनांक 08 नवम्बर, 2011

विषयः सभी विद्यालयों द्वारा कक्षा–1–5 तथा 6–8 तक की सूचनाएं डायस डाटा कैप्चर फार्मेट पर प्राप्त करने के संबंध में

महोदय,

कृपया आप अवगत ही है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 के अनुसार उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 प्रख्यापित की गयी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा जिला सूचना शैक्षिक प्रणाली–डायस की सूचना निर्धारित डाटा कैप्चर फार्मेट पर जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त के संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन की ओर से तीन प्रमुख समाचार पत्रों (दिनांक 05 नवम्बर, 2011– टाइम्स आफ इण्डिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण, उ0प्र0 के समस्त संकरण) में विज्ञप्ति प्रसारित की गयी है।(प्रतिलिपि सलंग्न)

आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालय से भरे हुए DCF प्राप्त करें एवं अपने जनपद के डायस डाटा का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुये 10 दिसम्बर, 2011 तक जनपद का डायस डाटा राज्य परियोजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

संलग्नक– उक्तवत्

08.11.11

(डी0बी0शर्मा)
अपर परियोजना निदेशक

पृ0 सं0 अ0प0नि0/ 3932 /2011–12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

08.11.11

(डी0बी0शर्मा)
अपर परियोजना निदेशक

pav/ngC:\sanjai singh\letter_All BSA_DISE DATA_08.11.2011.doc

दूरभाष : 2780996, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780990, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; [illegible]

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

विज्ञप्ति

सभी विद्यालयों द्वारा कक्षा 1–5 तथा कक्षा 6–8 तक की सूचनायें डायस डाटा कैप्चर फार्मेट पर उपलब्ध कराना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपदों द्वारा कक्षा 1–5 तथा कक्षा 6–8 के सभी विद्यालयों की सूचनाओं का डायस डाटा कैप्चर फार्मेट में कलैक्शन एवं संकलन किया जा रहा है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 के अनुसार उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 प्रख्यापित की गयी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा जिला सूचना शैक्षिक प्रणाली–डायस की सूचना निर्धारित डाटा कैप्चर फार्मेट पर जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। डायस डाटा कैप्चर फार्मेट सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त डायस डाटा कैप्चर फार्मेट वेबसाइट www.upefa.com पर भी उपलब्ध है।

अतः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 1–5 के सभी मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों तथा कक्षा 6–8 के सभी मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं कक्षा 1–5 तथा कक्षा 6–8 की कक्षायें संचालित करने वाले सभी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों को निर्देश दिये जाते हैं कि अपने विद्यालय की सूचना निर्धारित डायस डाटा कैप्चर फार्मेट में दिनांक 20–11–2011 तक सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायें। वांछित सूचना समय से उपलब्ध न कराये जाने पर सम्बन्धित विद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

सचिव,
बेसिक शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन